



राजस्थान

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

भारतीय संविधान, राजस्थान का
भूगोल एवं राजव्यवस्था

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार	1
2	संविधान सभा	4
3	प्रस्तावना	5
4	संविधान की विशेषताएँ	6
5	मौलिक अधिकार	8
6	राज्य के नीति-निदेशक तत्व	12
7	मूल कर्तव्य	13
8	राजस्थान का सामान्य परिचय	14
9	राजस्थान की भौगोलिक स्थिति	19
10	प्राकृतिक वनस्पति और मृदा	31
11	वन्यजीव और जैव विविधता	39
12	राजस्थान की जलवायु	51
13	राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और झीलें	58
14	प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ	69
15	राजस्थान की जनसंख्या	75
16	परिवहन	81
17	आपदा प्रबंधन	85
18	जलवायु परिवर्तन	94
19	राज्यपाल	98
20	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	103
21	राज्य विधानमंडल	109
22	उच्च न्यायालय	117
23	राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव	122

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	राजस्थान का जिला प्रशासन	125
25	राजस्थान के गैर-संवैधानिक निकाय	132

1 CHAPTER

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार

किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत लोग शासित होते हैं, के मूलभूत ढाँचे को स्पष्ट करता है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है।

1. व्यवस्थापिका (विधायिका) – मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण।
2. कार्यपालिका – व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये कानूनों को लागू करना है।
3. न्यायपालिका – (दोहरी न्यायपालिका)।
 - न्यायपालिका पहले ये देखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुसार है या नहीं।
 - यदि कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

नोट –

- न्यायपालिका की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं।
- अनु. 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, हालाँकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शब्द का उल्लेख नहीं है।
- संविधान का महत्व बताते हुए के. एम. मुंशी ने संविधान को 'राज्य की आत्मा' कहा है।
- भारत में अंग्रेज 31 दिसम्बर, 1600 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए। कम्पनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न एक्ट बनाए गये जो इस प्रकार हैं –

1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के 'गवर्नर' को बंगाल का 'गवर्नर जनरल' बनाया गया तथा लार्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने।

- इसके द्वारा 26 जुलाई, 1774 को कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसमें एक न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। सर इलिजा इम्प्रे इसके प्रथम न्यायाधीश थे।
- कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, त्रुटि विषयक रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी।

नोट –

- लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रान्ति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय थे।
- गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर 'वायसराय' कर दिया गया।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

- रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का नाम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर के नाम पर रखा गया।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा उसे समूचे देश का प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया।
- लॉर्ड विलियम बैंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है।

नोट – 1833 के चार्टर अधिनियम को सुभाष कश्यप के अनुसार भारत के केन्द्रीय विधानमण्डल की गंगोत्री कहा जाता है।

1853 का चार्टर अधिनियम

- ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृँखला में यह अंतिम अधिनियम था।
- गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों की अलग व्यवस्था की गई।
- सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था का शुभारम्भ किया।
- प्रथम बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया।

1858 का भारत शासन अधिनियम

नोट – 1853 का चार्टर कम्पनी शासन की समाप्ति का आधार था।

- 1858 के अधिनियम का निर्माण 1857 की क्रान्ति के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।
- भारत का शासन ब्रिटिश ताज की ओर से चलाने के लिए भारत मंत्री या भारत सचिव पद का सृजन किया गया।
- भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा यह भारत के प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करता था एवं सम्पूर्ण भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।

नोट – सर चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव बने।

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम

- केन्द्रीय तथा प्रान्तों में विधान परिषदों की स्थापना की गई।
- भारत में मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था की नींव रखी गई जिसके जनक लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं।
- गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत प्रदान की गयी। इस शक्ति का प्रयोग गवर्नर जनरल परिषद् के बिना ही स्व-विवेक से कर सकता था।

1892 परिषद् अधिनियम

- इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार निर्वाचन पद्धति की शुरूआत की गई, परन्तु यह पद्धति परोक्ष निर्वाचन की थी।
- सर फिरोज शाह मेहता पहले निर्वाचित भारतीय सदस्य थे।
- भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने और विधायिका के सामने प्रस्तुत करने की पद्धति वर्ष 1860 में जेम्स विलसन द्वारा प्रारम्भ की गयी।
- पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को पेश किया गया था।

1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम (मार्ले-मिण्टो सुधार)

- सर अर्लण्डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी, 1909 में पारित किया था।
- मुसलमानों के लिए पृथक तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरूआत हुई।

नोट –

- सर्वप्रथम वर्ष 1895 में तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान की माँग की।
- लॉर्ड मिण्टो को साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है।
- भारत परिषद् तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में प्रथम बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

नोट –

- सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय बने।
- इस अधिनियम से अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति स्पष्ट होती है।
- आर. सी. मजूमदार ने इस अधिनियम को चन्द्रमा की चाँदनी की संज्ञा दी।

1919 का भारत शासन अधिनियम (माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार)

- इस अधिनियम में सर्वप्रथम 'उत्तरदायी शासन' शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था।
- इस अधिनियम में उद्देशिका (प्रस्तावना), 47 धाराएँ तथा दो अनुसूचियाँ थी।
- इसमें प्रान्तों में द्वैध शासन तथा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई।
- 1919 का ये अधिनियम भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का आधार माना जाता है।
- इसके तहत पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

नोट – लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के सुधारों को 'बिना सूरज का सवेरा' बताया है।

1935 का भारत शासन अधिनियम

- यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पथर साबित हुआ। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएँ तथा 10 अनुसूचियाँ थी।
- 1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों का दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया और इसे केन्द्र में लागू कर दिया।
- इस अधिनियम में 'निर्देशों के उपकरण' का भी उल्लेख था जिन्हें वर्तमान में 'राज्य के नीति निदेशक' तत्व कहा जाता है।

- भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है क्योंकि लगभग 60% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गये हैं।
- 1935 के अधिनियम की सातवीं अनुसूची संघ और इकाइयों के मध्य विषयों के बँटवारे से संबंधित है।
 1. संघीय विधायी सूची में – 59 विषय
 2. प्रान्तीय विधायी सूची में – 54 विषय
 3. समवर्ती विधायी सूची में – 36 विषय है।

नोट – वर्तमान में

 - संघीय विधायी सूची में – 100 विषय
 - प्रान्तीय विधायी सूची में – 61 विषय
 - समवर्ती विधायी सूची में – 52 विषय है।

नोट – पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दासता का नया अधिकार पत्र तथा अनेक ब्रेकों वाली परन्तु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी है।

1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

- 3 जून, 1947 की माउण्ट बेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई।
- इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त, 1947 को इसे स्वतंत्र तथा सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया।
- वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया।

- भारत सचिव के पद की समाप्ति कर दी गई तथा अन्तिम भारत सचिव लॉर्ड लिस्टवेल थे।
- देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में मिलने अथवा अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
- इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक दोनों अधिराज्यों के शासन का संचालन 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार संचालित होगा।
- लॉर्ड माउण्ट बेटन भारत अधिराज्य के प्रथम गवर्नर जनरल बनें तथा जवाहर लाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गयी।

नोट –

- भारत के अन्तिम (प्रथम भारतीय व्यक्ति) गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी बने।
- 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा 'क्रिप्स प्रस्ताव' रखा गया। क्रिप्स प्रस्ताव में इंग्लैण्ड सरकार द्वारा युद्ध की समाप्ति के पश्चात् संविधान सभा के गठन की बात कहीं गई।
- पहली बार इंग्लैण्ड सरकार द्वारा भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात का उल्लेख किया गया।

नोट – महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक ऐसे चैक की संज्ञा दी जिसका 'बैंक दिवालिया' होने वाला है।

2 CHAPTER

संविधान सभा

- संविधान बनाने का काम करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है।
 - कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
 - इसमें अध्यक्ष – सर पैथिक लॉरेन्स
 - दो अन्य सदस्य – ए.वी. एलैकजेण्डर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
 - कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सदस्य होने चाहिए थे – 389
 - ब्रिटिश प्रान्तों से – 292
 - कमिशनरी प्रान्तों से – 4
 - देशी रियासतों से – 93
 - मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण संविधान सभा में 324 सदस्य ही रहे।
 - 9 दिसम्बर, 1946 को पहली बैठक में सदस्य – 207
 - कुल महिलाएँ – 15
 - पहली बैठक में – 9
 - 15 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा में 299 सदस्य रहे।
 - अन्तिम बैठक में हस्ताक्षर – 284 सदस्यों ने किये।
 - संविधान सभा के अस्थाई सदस्य – डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा
 - संविधान सभा के स्थाई सदस्य – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (13 दिसम्बर, 1946)
- नोट –**
- सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
 - उन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था।
 - इसमें 6+1 (अध्यक्ष) सदस्य थे।

प्रारूप समिति के सदस्य

अध्यक्ष – डॉ. भीमराव अम्बेडकर

सदस्य –

1. एन. गोपाल स्वामी आयंगर
2. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर
3. कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्ही
4. मोहम्मद सादुल्ला
5. एन. माधव राव (इन्हें बी.एल. मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया)
6. डी.पी. खेतान (1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात् टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया)

संविधान सभा की समितियाँ	अध्यक्ष
1. संघ संविधान समिति, राज्य समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू
2. प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
3. संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
4. झंडा समिति	जे. बी. कृपलानी
5. परामर्श समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
6. मूल अधिकार उप समिति	जे. बी. कृपलानी
7. अल्पसंख्यक उप समिति	एच. सी. मुखर्जी

- सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
- 15 अगस्त, 1947 को डॉ. अम्बेडकर भारत के पहले विधि मंत्री बने। प्रारूप समिति के समक्ष 7635 संशोधन प्रस्तुत किये गये।
- 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। इस दिनांक का उल्लेख प्रस्तावना में है, जबकि सम्पूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

उद्देश्य प्रस्ताव – पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर, 1946 में ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया।

विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान

- सरकार का संसदीय स्वरूप
 - कानून का शासन
 - एकल नागरिकता
 - विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका
 - राज्य के नीति निदेशक तत्व
 - राष्ट्रपति के निर्वाचिक मण्डल की व्यवस्था
 - मौलिक अधिकारों की सूची
 - न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति
 - संविधान की सर्वोच्चता
 - निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग
 - उपराष्ट्रपति का पद
 - स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त
 - गणतन्त्र
 - सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था
 - अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त
 - मूल कर्तव्य – सोवियत संघ (रूस) से
 - शोषण के विरुद्ध अधिकार
 - अनुच्छेद (24)
- ब्रिटिश संविधान से

आयरलैण्ड के संविधान से

अमेरिका से

फ्रांस से

कनाडा से
- यूगोस्लाविया से

8

CHAPTER

राजस्थान का सामान्य परिचय





- राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का आकार: समचतुर्भुज या पतंग के समान।
- राजधानी:** जयपुर **जिले:** 41 **संभाग:** 7
क्षेत्रफल: 3,42,239 वर्ग किमी (भारत के क्षेत्रफल का 10.41%)

- 2011 की जनगणना के अनुसार
 - राज्य की कुल जनसंख्या: 6,85,48,437 (भारत की कुल जनसंख्या का 5.67%)।
 - जनसंख्या दृष्टि से राजस्थान का देश में 7वाँ स्थान है।

राजकीय वृक्ष	खेजड़ी
राजकीय पुष्प	रोहिङ्गे का फूल
राजकीय पशु	चिंकारा और ऊँट
राजकीय पक्षी	गोडावण
राजकीय नृत्य	घूमर


1. राजस्थान की भू-वैज्ञानिक उत्पत्ति




2. राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति

अक्षांश: $23^{\circ}03'$ उत्तर से $30^{\circ}12'$ उत्तर
 देशांतर: $69^{\circ}30'$ पूर्व से $78^{\circ}17'$ पूर्व
 अक्षांश अंतराल: $7^{\circ}09'$ देशांतर अंतराल: $8^{\circ}47'$

- राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
- राजस्थान की वैश्विक मानचित्र पर अवस्थिति- उत्तर-पूर्व राजस्थान, भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।




- भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा- अरावली पर्वतमाला और दक्षिण-पूर्वी पठार।
- भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा- मरुस्थली क्षेत्र और पूर्वी मैदान।



राजस्थान का भौगोलिक विस्तार

- राजस्थान का अधिकांश भू-भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ($23^{\circ}3'$ उत्तरी अंक्षांश)।
- राजस्थान का विस्तार
 - उत्तर से दक्षिण: 826 किमी।
 - पूर्व से पश्चिम: 869 किमी।
 - राजस्थान के पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण विस्तार में कुल 43 किमी. का अन्तर है।

- राज्य सबसे पूर्वी बिन्दु (धौलपुर) और सबसे पश्चिमी बिन्दु (जैसलमेर) के मध्य समय अंतराल- 35 मिनट 08 सेकंड।
- राजस्थान के सीमावर्ती बिंदु
 - उत्तरी छोर: कोणा गाँव (श्रीगंगानगर)
 - दक्षिणी छोर: बोरकुंड गाँव (बांसवाड़ा)
- पश्चिमी छोर: कटरा गाँव (जैसलमेर)
- पूर्वी छोर: सिलावट गाँव (धौलपुर)
- राजस्थान का मध्यवर्ती बिन्दु : लाम्पोलाई गाँव (नागौर)
- राजस्थान में कर्क रेखा (26 किमी.) बांसवाड़ा और धूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है।



राजस्थान का सीमा विस्तार


- राजस्थान की स्थल सीमा की कुल लंबाई 5,920 किमी. है।
- राजस्थान की सीमा रेखा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है

राजस्थान की सीमा


- अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा (1070 किमी)
 - अंतर्राज्यीय स्थल सीमा (4850 किमी)
- कुल का 18%
कुल का 82%

(i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा

- भारत-पाकिस्तान सीमा अर्थात् रैडक्लिफ रेखा का विस्तार - 3,323 किमी. (राजस्थान में - 1070 किमी.)



- राजस्थान में रैडक्लिफ रेखा हिंदुमलकोट (श्रीगंगानगर) से शाहगढ़ (बाड़मेर) तक फैली हुई है।



- राजस्थान के सीमावर्ती पाकिस्तान के प्रांत - पंजाब और सिंध

(ii) अंतर्राज्यीय सीमा


- राजस्थान कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
- राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई- 4,850 किमी।

राजस्थान के पड़ोसी राज्य	राजस्थान के सीमावर्ती जिले
पंजाब (89 किमी.)	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ (कुल - 2 जिले)
हरियाणा (1262 किमी.)	हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर और डीग (कुल - 8 जिले)
उत्तरप्रदेश (877 किमी.)	डीग, भरतपुर, धौलपुर (कुल - 3 जिले)
मध्यप्रदेश (1600 किमी.)	धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा (कुल - 10 जिले)
गुजरात (1022 किमी.)	बांसवाड़ा, झूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर (कुल - 6 जिले)

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (केवल राजस्थान के संदर्भ में)



चित्तौड़गढ़



- रैडक्लिफरेखा पर सबसे लंबी सीमा जैसलमेर जिले की है।
- रैडक्लिफरेखा का निकटतम जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है।
- वर्तमान में चित्तौड़गढ़ एकमात्र विखंडित जिला है (पहले अजमेर जिला भी विखंडित था किन्तु पुनर्गठन के बाद विखंडित नहीं रहा)।
- सीमा विवाद - राजस्थान और गुजरात के मध्य मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र (बांसवाड़ा) के लिए विवाद चल रहा है।
- अंतर्राज्यीय सीमा वाले कुल जिले - 29 जिले
- केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले- 27 जिले
- केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले- 3 जिले (बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी)
- अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमाओं वाले जिले- 2 जिले (श्रीगंगानगर, बाड़मेर)
- राजस्थान के 12 जिले किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं।
- दो राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिले (4 जिले)-
 - हनुमानगढ़: पंजाब + हरियाणा
 - डीग: हरियाणा + उत्तर प्रदेश
 - धौलपुर: उत्तर प्रदेश + मध्य प्रदेश
 - बांसवाड़ा: मध्य प्रदेश + गुजरात
- सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला-नागौर (7 जिले)

राजस्थान राज्य

सबसे बड़ा जिला (JBBJ)	सबसे छोटा जिला (DDDP)
1. जैसलमेर - 38401 km ²	1. धौलपुर - 3034 km ²
2. बीकानेर - 30239 km ²	2. दौसा - 3432 km ²
3. बाड़मेर - 28387 km ²	3. झूंगरपुर - 3770 km ²
4. जोधपुर - 22850 km ²	4. प्रतापगढ़ - 4449 km ²

3. राजस्थान के संभाग और जिले

- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च, 2023 को 'रामलुभाया समिति' की सिफारिश के आधार पर 3 नए संभाग और 19 नए जिले गठित करने की घोषणा की।

- नए संभाग - सीकर, बांसवाड़ा, पाली
 - नए जिले - अनुपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, ब्यावर, नीम का थाना, डीग, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, डीडवाना, सलूबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा।
 - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार द्वारा बनाए गये 17 जिले व 3 संभाग को ललित के. पवांर समिति के सिफारिश पर 17 जिलों में से 9 जिले (जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, सांचौर, दुदू, केकड़ी, शाहपुरा व अनुपगढ़) व 3 संभाग (पाली, बांसवाड़ा व सीकर) को समाप्त कर दिया।
नए जिले - कोटपूतली- बहरोड़, बालोतरा, सलूबर, डीग, खैरथल- तिजरा, ब्यावर, डीडवाना - कुचामन, फलौदी।

अब कुल जिले - 41 तथा

कुल संभाग – 7

नोट:-


- ललित के. पंवार समिति का गठन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2024 में किया गया था, जिसका उद्देश्य नए बने जिलों की समीक्षा करना था।
 - ललित के. पवार समिति ने अपनी रिपोर्ट मदन दिलाकर अध्यक्षता वाली केबिनेट उप-समिति को सौंपी। (केबिनेट उप-समिति पहले अध्यक्ष प्रेमचन्द बैरवा)

संभागीय प्रणाली

41 जिले व 7 संभाग के अनुसार

क्र.सं.	संभाग	स्थापना वर्ष	जिले
1.	जोधपुर	1949	जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर, सिरोही (8 जिले)
2.	बीकानेर	1949	बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर (4 जिले)
3.	उदयपुर	1949	उदयपुर, , राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर बांसवाड़ा, झूंगरपुर, प्रतापगढ़ (7 जिले)
4.	कोटा	1949	कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ (4 जिले)
5.	अजमेर	1956	अजमेर, ब्यावर, नागौर, टोंक, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा (6 जिले)
6.	जयपुर	1987	जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, खैरथल-तिजारा, अलवर, सीकर, झुँझुनू, (7 जिले)
7	भरतपुर	2005	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, (5 जिले)

- सबसे अधिक जिलों वाले संभाग: जोधपुर (8), जयपुर (7), उदयपुर (7), अजमेर (6),
 - सबसे कम जिलों वाले संभाग - भरतपुर (5), कोटा (4), बीकानेर (4)



क्र.सं.	संभाग	स्थापना वर्ष	जिले
1.	जोधपुर	1949	जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा (6 जिले)
2.	बीकानेर	1949	बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर (4 जिले)
3.	उदयपुर	1949	उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर (5 जिले)
4.	कोटा	1949	कोटा, बूदी, बारां, झालावाड़ (4 जिले)
5.	अजमेर	1956	अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, टोंक, डीडवाना-कुचामन, शाहपुरा (7 जिले)
6.	जयपुर	1987	जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूर्दू, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, खैरथल-तिजारा, अलवर (7 जिले)
7.	भरतपुर	2005	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ढीग, गंगापुर सिटी (6 जिले)
8.	पाली	2023	पाली, सांचौर, जालौर, सिरोही (4 जिले)
9.	बांसवाड़ा	2023	बांसवाड़ा, झूंगरपुर, प्रतापगढ़ (3 जिले)
10.	सीकर	2023	सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना (4 जिले)

नोटः

- 1956 में अजमेर संभाग बनाया गया और जयपुर संभाग को भंग कर दिया, जिससे राजस्थान में संभागों की कुल संख्या 5 पर अपरिवर्तित रही।
 - सबसे अधिक जिलों वाले संभाग: जयपुर (7), अजमेर (7), जोधपुर (6), भरतपुर (6), उदयपुर (5)
 - सबसे कम जिलों वाले संभाग - बांसवाड़ा (3), कोटा (4), पाली (4), सीकर (4) बीकानेर (4)


9 CHAPTER

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति



- राजस्थान एक भौगोलिक विविधताओं वाला राज्य है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल जैसे भू-आकृतिक प्रदेश मौजूद हैं।
- राजस्थान को निम्नलिखित 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया सकता है-

राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश				
	पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश	अरावली पर्वतीय प्रदेश	पूर्वी-मैदानी प्रदेश	दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश
क्षेत्रफल	61.11%	9 %	23 %	6.89 %
जनसंख्या	40%	10%	39%	11%
ज़िले	20	22	17	7
विभाजन	1. शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। 2. अर्ध-शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र	1. उत्तरी अरावली क्षेत्र 2. मध्य अरावली क्षेत्र 3. दक्षिण अरावली क्षेत्र	1. चंबल बेसिन क्षेत्र 2. बनास बेसिन क्षेत्र 3. माही बेसिन क्षेत्र	1. विंध्यन कगार भूमि 2. दक्कन लावा पठार 3. हाड़ौती का पठार
निर्माण	चतुर्थक कल्प, प्लीस्टोसीन युग और नवजीवी महाकल्प।	प्री-कैम्ब्रियन काल	प्लीस्टोसीन युग	क्रीटेशियस कल्प
मिट्टी	रेतीली	पर्वतीय/जंगली मृदा	जलोढ़	काली/रेगुर
जलवायु	शुष्क+अर्ध-शुष्क	उप-आर्द्ध	आर्द्ध	अति आर्द्ध




1. पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश

- यह राजस्थान के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग में अवस्थित सबसे नवीन भौगोलिक प्रदेश है। इसे टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है।
- सामान्य ढाल- पूर्व से दक्षिण-पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर।

- इस भौगोलिक प्रदेश की पश्चिमी सीमा रेडक्लिफ रेखा और पूर्वी सीमा अरावली क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती है।
- तृतीयक अवसादी चट्टानी संरचना की प्रधानता के कारण, इस भौगोलिक प्रदेश में जीवाश्म खनिज का भंडार मौजूद है। जैसे- कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस आदि।


- इस भौगोलिक प्रदेश में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन दोनों की उपलब्ध है, इसलिए इसे "विश्व का पावर हाउस" भी कहा जाता है।
- यहाँ मरुद्धिद वनस्पति पायी जाती है।
- इस भौगोलिक प्रदेश में स्थित चन्दन नलकूप (जैसलमेर) को "थार का घड़ा" कहा जाता है।
- वर्षा के आधार पर (25 सेमी. समवृष्टिरेखा के साथ), राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को निम्न दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र



- ✓ बालुका स्तूप के प्रकार-

बालुका स्तूप के प्रकार



शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र

थार मरुस्थल (4 राज्य)

↓ ↓ ↓ ↓
पंजाब हरयाणा राजस्थान गुजरात

- इस क्षेत्र में शुष्क, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पायी जाती है।
- इस क्षेत्र को थार का मरुस्थल कहा जाता है थार मरुस्थल का लगभग 85% हिस्सा भारत में और शेष 15% पाकिस्तान में स्थित है। भारत में मौजूद थार मरुस्थल का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में स्थित है।

शुष्क क्षेत्र

↓ ↓
बालुका स्तूप
वाले क्षेत्र - झर्ग

(i) बालुका स्तूप वाले क्षेत्र-

- पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा द्वारा विस्थापित होने वाली रेत के जमाव से निर्मित लहरदार भू-आकृतियों को बालुका स्तूप कहते हैं। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी- काकनी/मसूरदी नदी है।

↓ ↓
बालुका स्तूप
मुक्त क्षेत्र-हमादा
(41.5%)


- ✓ पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा द्वारा विस्थापित होने वाली रेत के जमाव से निर्मित लहरदार भू-आकृतियों को बालुका स्तूप कहते हैं। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी- काकनी/मसूरदी नदी है।

✓ बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप -

- अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप सामान्यतः समूहों में पाए जाते हैं।
- यह उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, जहाँ वर्षा भर वायु का प्रवाह एक ही दिशा में होता है।
- बरखान, राजस्थान में सर्वाधिक सामान्य रूप से पाया जाने वाला बालुका स्तूप है।
- अधिकतम क्षेत्र: चुरू में।
- मरुस्थलीकरण (desertification) में बरखान का सर्वाधिक योगदान है।


➤ अनुप्रस्थ बालुका स्तूपः

- ✓ जब हवा द्वारा रेत का जमाव हवा की दिशा के लम्बवत् (समकोण पर) होता है, तो उससे अनुप्रस्थ बालुका स्तूपनिर्मित भू-आकृति को अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है।
- ✓ अनुप्रस्थ बालुका स्तूप अधिकांशतः बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है



➤ परवलयिक बालुका स्तूपः-

- ✓ ये बरखान के विपरीत दिशा में निर्मित बालुका स्तूप होते हैं।
- ✓ इनका आकार हेयरपिन (hairpin) जैसा होता है।
- ✓ इस प्रकार के बालुका स्तूप का निर्माण बनाच्छादित क्षेत्रों और समतल मैदानी क्षेत्रों के मध्य होता है।
- ✓ सर्वाधिक परवलयिक बालुका स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं।




➤ सीफ बालुका स्तूपः:

- ✓ जब बरखान के निर्माण के दौरान हवा की दिशा में बदलाव होता है, तो बरखान की एक भुजा फैल जाती है और सीफ का निर्माण होता है अर्थात् सीफ में केवल एक ही भुजा होती है जो ऊँची और अधिक लम्बी होती है।
- ✓ इसे 'अनुदैर्घ्य सीफ बालुका स्तूप' भी कहा जाता है।

नोटः

- ✓ ऐसे बालुका स्तूप जिनका निर्माण वनस्पतियों या झाड़ियों के आसपास होता है- नेबखा/श्रब काफीज
- ✓ सभी प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं- जोधपुर क्षेत्र में



➤ रेखीय/अनुदैर्घ्य बालुका स्तूपः

- ✓ जब रेत का जमाव हवा की दिशा के समानांतर होता है, तो रेखीय/अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप का निर्माण होता है।
- ✓ रेखीय बालुका स्तूप सामान्य रूप से नदी घाटी क्षेत्र मुख्यतः जैसलमेर और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं।



➤ तारानुमा बालुका स्तूपः-

- ✓ ऐसे बालुका स्तूप अनियमित हवाओं के बहाव से निर्मित होते हैं
- ✓ सर्वाधिक तारानुमा बालुका स्तूप जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर में पाए जाते हैं।



(ii) बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्रः

- ✓ बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है और चट्टानी मरुस्थल की उपस्थिति और रेत की अनुपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को 'हम्मादा' कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है।